छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सूचना

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की रजिस्ट्री एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर में ट्रांसलेटर के पद हेतु व्यापम, रायपुर के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार व्यापम द्वारा उक्त पद के लिखित परीक्षा परिणाम पश्चात् वर्गवार 01:10 के अनुपात में कौशल परीक्षा हेतु पात्र उम्मीद्वारों की सूची प्रकाशित किया गया है। तदानुसार **छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की रजिस्ट्री एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर में ट्रांसलेटर के पद हेतु पात्र उम्मीद्वारों का कौशल परीक्षा संयुक्त रूप से दिनांक 21.09.2019 को प्रातः 9:30 से 12:00 बजे तक छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, छतौना रोड, बिलासपुर (छ.ग.)** में आयोजित किया जाना निर्धारित है। उक्त पदों के कौशल परीक्षा की परीक्षा पद्धति (Examination Scheme) एवं परीक्षा की सूचना को उच्च न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर दोनों की रजिस्ट्री हेतु कौशल परीक्षा के लिये पात्र अभ्यर्थियों का संयुक्त रूप से एक ही तिथि एवं समय पर परीक्षा आयोजित की जायेगी।

अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि के एक घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे।

पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र कौशल परीक्षा की तिथि के एक सप्ताह पूर्व उच्च न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जावेगा। आवेदक अपना प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी के कौशल परीक्षा के लिये अधिकृत प्रवेश पत्र होगा। कृपया ध्यान रखें किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी माध्यम से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना आधार कार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स या अन्य कोई पहचान को दर्शित करने वाला प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उसकी एक छायाप्रति के साथ उपस्थित होवे एवं परीक्षा केन्द्र में वीक्षक को वह उक्त की छायाप्रति में अपना रोल नम्बर अंकित कर स्वयं का हस्ताक्षर कर अनिचार्य रूप से सौंपे।

अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेजों की जांच साक्षात्कार के पूर्व की जावेगी एवं समस्त दस्तावेज नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जावेगा तथा सत्यापन में दस्तावेज उपयुक्त न पाये जाने की दशा में चयन (Selection)/**नियुक्ति** (appointment) **निरस्त कर दिया जावेगा।**

ट्रांसलेटर के पद के लिये कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अनर्ह पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

कौशल परीक्षा में सभी अभ्यर्थी नीला बाल पाईन्ट पेन (Bule Ball Point Pen) साथ लेकर उपस्थित होवें।

विस्तृत जानकारी के लिये उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.cghighcourt.nic.in** पर देखा जा सकता है।

04.09.2019

(दीपक कुमार तिवारी)
रजिस्ट्रार (विजिलेंस)—सह—चेयरमेन, सब—कमेटी